

कार्यालय आदेश सं० ई/राज/मेड/सीएमपी/22/04-2017

महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर के कार्यालय आदेशों द्वारा निम्नलिखित अवधि विस्तार/स्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होने हेतु जारी किया गया है -

(i) महाप्रबंधक (का०)/हाजीपुर का कार्यालय आदेश सं० राज/99/2017, सं० ईसीआर/एचआरडी/राज/अवधि विस्तार/डॉ० केसीपी/सीएमपी/धनबाद, दि० 11.04.2017

क सं.	चिकित्सक का नाम	पद/स्थान	वर्तमान पद/स्थान	अभ्युक्ति
01.	डॉ० के.सी. प्रसाद	सीएमपी (जीडीएमओ)/टोरी हेल्थ यूनिट/धनबाद मंडल (पांचवे टर्म समाप्ति की तिथि - 28.03.2017)	सीएमपी (जीडीएमओ)/टोरी हेल्थ यूनिट/धनबाद मंडल	पूर्णकालिक संविदा के आधार पर छठे टर्म हेतु पांचवे अवधि विस्तार (5 <sup>th</sup> extension) पर दिनांक 12.01.18 तक के लिए तैनात किए जाते हैं।

(ii) महाप्रबंधक (का०)/हाजीपुर का कार्यालय आदेश सं० राज/100/2017, सं० ईसीआर/एचआरडी/राज/सीएमपी/अवधि विस्तार/लूज/डॉ० आशीष कुमार, दि० 11.04.2017

क. सं.	चिकित्सक का नाम	पद/स्थान	वर्तमान पद/स्थान	अभ्युक्ति
01.	डॉ० आशीष कुमार	सीएमपी (जीडीएमओ)/कोडरमा हेल्थ यूनिट/धनबाद मंडल (आठवें टर्म समाप्ति की तिथि - 10.04.2017)	सीएमपी (जीडीएमओ)/कोडरमा हेल्थ यूनिट/धनबाद मंडल	पूर्णकालिक संविदा के आधार पर नौवें टर्म हेतु आठवें अवधि विस्तार (8 <sup>th</sup> extension) पर दिनांक 12.01.18 तक के लिए तैनात किए जाते हैं।

- (1) पूर्णकालिक संविदा के आधार पर तैनाती अगले टर्म अर्थात् अगले एक वर्ष तक के लिए उपरोक्त इंगित स्थान पर योगदान देने की तिथि से अथवा नियमित चिकित्सक की उपलब्धता, इनमें से जो पहले हो मान्य होगा। (संदर्भ- रेलवे बोर्ड के पत्र सं०- 2013/ई(जीआर)।।/1/5 दिनांक 20.05.2014)
- (2) पदभार ग्रहण रिपोर्ट समय से उपमुकाधि/राज/हाजीपुर एवं संबंधित बिल अनुभाग को भेजें।
- (3) रेल परिषद द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- (4) उपरोक्त चिकित्सकों के तैनाती से पूर्व करारनामा, संबंधित मंडल के मुख्य चिकित्सक/अधीक्षक द्वारा किये जाने संबंधी दस्तावेज की प्रति इस कार्यालय में अद्यतन एवं रिक्तियों हेतु भेजी जाए।
- (5) उपरोक्त चिकित्सकों का पारिश्रमिक भुगतान अर्थात् निधि लं सुनिश्चित किया जाए साथ ही आयकर के मद में आवश्यक कटौती सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- (6) रेलवे आवास से संबंधित मामले निष्पादन नियमानुसार किया जाए।  
(7) सीएमपी को पारिश्रमिक भुगतान के समय उनके कार्य के अवधि को दृष्टिगत रखा जाए।

उपरोक्त आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(दीपक राज राय)  
सकाधि


कृते वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी  
पूर्व मध्य रेल, धनबाद

सं० ई/राज/मेड/सीएमपी/पार्ट - 111

धनबाद, दिनांक 25/04/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महाप्रबंधक (का०)/पू०म०रेल/हाजीपुर, आपके संदर्भित कार्यालय आदेश के आलोक में सूचनार्थ।
- मुख्य चिकित्सा निदेशक एवं विसमुलेधि/पूमरे/हाजीपुर।
- मुख्य कार्यालय अधीक्षक (सा०); मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद के सूचनार्थ।
- अपर मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं वरीय मंडल वित्त प्रबंधक/पूमरे/धनबाद।
- मु. कार्याधी (ई०) एवं मु. कार्याधी वेतन विपत्र (राज)/धनबाद।
- गोपनीय सहायक/धनबाद एवं संबंधित अधिकारी।



कृते मंडल रेल प्रबंधक  
पूर्व मध्य रेल, धनबाद